भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2080
09.12.2024 को उत्तर के लिए

एनसीएपी के तहत गैर-प्राप्ति शहरों को धन मुहैया कराना

2080. श्री राजा राम सिंह :

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत गैर-प्राप्ति शहरों में उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कड़े उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ख) एनसीएपी के अंतर्गत गैर-प्राप्ति शहरों के लिए आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक कणिका पदार्थ सांद्रता में 20%-30% की कमी लाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विशेष रूप से गैर-प्राप्ति शहरों में क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं;
(घ) एनसीएपी के अंतर्गत प्रदूषण स्तर में 40% की कमी के संशोधित लक्ष्य को प्राप्त करने की समय-सीमा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने मुख्य शहरों में एनसीएपी की अप्रभाविता का मूल्यांकन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) द्वारा जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों को शामिल करके 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 130 शहरों (अवमानक वायु गुणवत्ता वाले शहरों और दस लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों) में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। एनसीएपी में वर्ष 2017 की आधार रेखा की तुलना में वर्ष 2024-25 तक पीएम10 सांद्रता में 20-30% की कमी लाने की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2025-26 तक पीएम10 के स्तर में 40% तक की कमी लाने या राष्ट्रीय मानकों (60 माइक्रोग्राम/घन मीटर) की प्राप्ति के लिए लक्ष्य को संशोधित किया गया है।

एनसीएपी एक बहु-क्षेत्रीय पहल है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और अन्य हितधारकों के समन्वित प्रयास शामिल हैं। इसमें शहर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के माध्यम से स्रोत-विशिष्ट उपशमन उपायों पर जोर दिया गया है। एनसीएपी के तहत सभी शहरों द्वारा एनसीएपी के उद्देश्यों के अनुसार वायु गुणवत्ता में सुधार के उपाय करने के लिए शहरी कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं। इसके अलावा, 24 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों ने एनसीएपी के तहत कार्य योजनाएं तैयार की हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं (जैसे, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम ई-बस सेवा, अमृत, सतत और नगर वन योजना), राज्य योजनाओं और शहर के अपने संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से संसाधन जुटाए जाते हैं।

वित्त की कमी के अंतर को पूरा करने के लिए शहरों को एनसीएपी के तहत कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया जाता है। दस लाख से अधिक की आबादी वाले 48 शहरों/शहरी समूहों को XVवें वित्त आयोग मिलियन प्लस सिटी चैलेंज फंड के तहत वायु गुणवत्ता कार्य-निष्पादन अनुदान के रूप में वित्त पोषित किया जाता है, और शेष 82 शहरों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक 130 शहरों के लिए 19,614 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक शहरों को 11,211 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। एनसीएपी के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए जारी की गई निधियों का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

अवमानक वायु गुणवत्ता वाले 82 शहरों के लिए PM10 के स्तर में 3-15% तक कमी लाकर वार्षिक आधार पर वायु प्रदूषण में कमी लाने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जबकि दस लाख से अधिक आबादी वाले 48 शहरों के लिए PM10 के स्तर में 15% की कमी और अच्छे दिनों (एक्यूआई <200) में 15% की वृद्धि का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 130 शहरों द्वारा शहर कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। प्रदूषण के स्रोतों और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एनसीएपी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक पोर्टल "**प्राण**" शुरू किया है। इस पोर्टल पर कार्ययोजनाएँ अपलोड की जाती हैं। यह पोर्टल वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्ययोजनाओं के कार्यान्वयन तथा शहरों की भौतिक और वित्तीय प्रगति का पता लगाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। शहरों को **प्राण** पोर्टल पर कार्यान्वयन के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।

एनसीएपी के अंतर्गत कार्य योजनाओं की प्रगति के समन्वय, समीक्षा और निगरानी के लिए राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर पर निम्नलिखित समितियां गठित की गई हैं:

क. राष्ट्रीय स्तर

(i) सर्वोच्च समिति
(ii) संचालन समिति
(iii) निगरानी समिति
(iv) कार्यान्वयन समिति

ख. राज्य स्तर

(i) संचालन समिति
(ii) कार्यान्वयन समिति

ग. शहर स्तर

(i) शहर स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति

सीपीसीबी क्षेत्रीय निदेशालयों के नोडल अधिकारियों ने शहर कार्य योजना के अनुसार शुरू की गई गतिविधियों का क्षेत्र सत्यापन किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों "शहरों की रैंकिंग" के अनुसार, शहरों द्वारा किए गए वायु गुणवत्ता में सुधार करने के उपायों के कार्यान्वयन के आधार पर शहरों को रैंक करने के लिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण ढांचे के अनुरूप वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में शहरों का आकलन किया गया है।

वर्ष 2023-24 के लिए किए गए वार्षिक प्रदर्शन-आकलन के अनुसार, 130 शहरों में से 97 शहरों ने वर्ष 2017-18 के आधार स्तरों की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में PM10 की सांद्रता की दृष्टि से वायु गुणवत्ता में सुधार दिखाया है। 55 शहरों ने वर्ष 2017-18 के स्तरों के संबंध में वर्ष 2023-24 में PM10 के स्तर में 20% और उससे अधिक की कमी हासिल की है। इसके अलावा, 18 शहर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विविक्त कण की सांद्रता की दृष्टि से राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं।

वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में 130 शहरों में PM10 की सांद्रता में हुए सुधार का विवरण **अनुलग्नक-II** में संलग्न है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रमुख उपायों का ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	क्र. सं.	शहर	वर्ष 2023-24 तक जारी की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश	1.	श्रीकाकुलम	3.96
		2.	चित्तूर	6.14
		3.	ओंगोल	7.87
		4.	विजयनगरम	5.31
		5.	एलुरु	5.21
		6.	राजमुंदरी	7.87
		7.	अनंतपुर	11.46
		8.	कडापा	8.48
		9.	विजयवाड़ा यूए	130.35
		10.	गुंटूर	17.34
		11.	कुरनूल	6.33
		12.	नेल्लोर	21.40
		13.	विशाखापत्तनम यूए	129.37
2	चंडीगढ़	14.	चंडीगढ़	32.81
3	छत्तीसगढ	15.	रायपुर यूए	125.35
		16.	दुर्ग भिलाईनगर यूए	118.35
		17.	कोरबा	4.69
4	गुजरात	18.	सूरत यूए	261.18
		19.	अहमदाबाद यूए	571.29
		20.	राजकोट यूए	120.69
		21.	वडोदरा यूए	132.26
5	हिमाचल प्रदेश	22.	बद्दी	3.11
		23.	नालागढ़	2.26
		24.	पौंटा साहिब	2.06
		25.	सुन्दर नगर	2.30
		26.	दमताल	1.91

क्र. सं.	राज्य	क्र. सं.	शहर	वर्ष 2023-24 तक जारी की गई निधि
		27.	परवाणू	1.96
		28.	काला अम्ब	3.90
6	जम्मू एवं कश्मीर	29.	जम्मू	25.08
		30.	श्रीनगर	90.87
7	झारखंड	31.	धनबाद यूए	69.09
		32.	जमशेदपुर यूए	116.85
		33.	रांची यूए	93.50
8	कर्नाटक	34.	ब्रुहट बैंगलोर यूए	541.10
		35.	गुलबर्गा	23.48
		36.	हुबली, धारवाड़	19.15
		37.	देवनगर	13.79
9	मध्य प्रदेश	38.	भोपाल यूए	193.79
		39.	ग्वालियर यूए	102.64
		40.	इंदौर यूए	191.95
		41.	उज्जैन	20.23
		42.	सागर	14.90
		43.	देवास	7.95
		44.	जबलपुर यूए	119.08
10	महाराष्ट्र	45.	ग्रेटर मुंबई (जीएम) यूए	938.59
		46.	नागपुर यूए	142.05
		47.	नवी मुंबई जीएम यूए	9.45
		48.	पुणे यूए	271.30
		49.	अमरावती	34.64
		50.	औरंगाबाद यूए	68.30
		51.	नासिक यूए	91.55
		52.	कोल्हापुर	24.11
		53.	सांगली	11.65
		54.	सोलापुर	40.35
		55.	उल्हासनगर जीएम यूए	2.10
		56.	अकोला	9.61
		57.	बदलापुर जीएम यूए	2.00
		58.	चंद्रपुर	6.99

क्र. सं.	राज्य	क्र. सं.	शहर	वर्ष 2023-24 तक जारी की गई निधि
		59.	जलगांव	5.64
		60.	जालना	6.35
		61.	लातूर	17.37
		62.	ठाणे जीएम यूए	0.00
		63.	वसई-विरार सिटी यूए	72.35
11	ओडिशा	64.	कलिंग नगर	5.10
		65.	कटक	26.58
		66.	भुवनेश्वर	21.04
		67.	बालासोर	3.95
		68.	राउरकेला	13.26
		69.	तालचेर	2.36
		70.	अंगुल	2.32
12	पंजाब	71.	लुधियाना यूए	97.75
		72.	अमृतसर यूए	73.25
		73.	जालंधर	45.44
		74.	खन्ना	7.00
		75.	गोविंदगढ़	5.64
		76.	नया नंगल	3.37
		77.	पठानकोट/डेरा बाबा नानक	6.73
		78.	पटियाला	21.18
		79.	डेरा बस्सी	1.34
13	राजस्थान	80.	जयपुर यूए	344.70
		81.	जोधपुर यूए	118.69
		82.	कोटा यूए	107.47
		83.	अलवर	21.89
		84.	उदयपुर	17.50
14	तमिलनाडु	85.	तूतीकोरिन/थूथुकुडी	13.40
		86.	चेन्नई यूए	387.72
		87.	मदुरै यूए	72.44
		88.	तिरुचिरापल्ली यूए	62.35
15	तेलंगाना	89.	हैदराबाद यूए	614.82
		90.	नालगोंडा	5.29

क्र. सं.	राज्य	क्र. सं.	शहर	वर्ष 2023-24 तक जारी की गई निधि
		91.	संगारेड्डी	3.47
16	उत्तर प्रदेश	92.	आगरा यूए	284.89
		93.	इलाहाबाद यूए	213.32
		94.	कानपुर यूए	397.24
		95.	लखनऊ यूए	402.82
		96.	वाराणसी यूए	305.84
		97.	मुरादाबाद	79.09
		98.	बरेली	73.35
		99.	फिरोजाबाद	47.78
		100.	झांसी	11.08
		101.	खुर्जा	18.37
		102.	अनपरा	2.41
		103.	गजरौला	4.41
		104.	रायबरेली	15.62
		105.	गोरखपुर	66.87
		106.	नोएडा	30.89
		107.	गाजियाबाद यूए	153.42
		108.	मेरठ यूए	153.62
17	उत्तराखंड	109.	काशीपुर	7.29
		110.	ऋषिकेश	9.78
		111.	देहरादून	51.20
18	पश्चिम बंगाल	112.	कोलकाता (के) यूए	960.27
		113.	हावड़ा के यूए	5.00
		114.	हल्दिया	10.33
		115.	दुर्गापुर	44.58
		116.	बैरकपुर के यूए	2.00
		117.	आसनसोल यूए	67.60
19	बिहार	118.	पटना यूए	298.60
		119.	गया	12.45
		120.	मुजफ्फरपुर	17.06
20	असम	121.	गुवाहाटी	39.23
		122.	नगांव	8.79
		123.	नलबाड़ी	6.81

क्र. सं.	राज्य	क्र. सं.	शहर	वर्ष 2023-24 तक जारी की गई निधि
		124.	शिवसागर	8.03
		125.	सिल्चर	7.80
21	नगालैंड	126.	दीमापुर	10.20
		127.	कोहिमा	9.80
22	मेघालय	128.	बर्नीहाट	7.95
23	दिल्ली	129.	दिल्ली	42.69
24	हरियाणा	130.	फरीदाबाद यूए	73.53
कुल				11,211.13

अनुलग्नक-II

वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में अवमानक वायु गुणवत्ता वाले शहरों में PM10 की सांद्रता में सुधार

क्र.सं.	राज्य	शहर	वर्ष 2017-18 में PM10 की सांद्रता (µg/m3) (वार्षिक औसत)	वर्ष 2023-24 में PM10 की सांद्रता (µg/m3) (वार्षिक औसत)	वर्ष 2017-18 की तुलना में 2023-24 में PM10 की सांद्रता में प्रतिशत कमी (%)
1	आंध्र प्रदेश	कडपा	75	42	44
2		कुरनूल	79	56	29
3		अनंतपुर	78	59	24
4		नेल्लोर	64	52	19
5		चित्तूर	70	59	16
6		ओंगोल	65	56	14
7		राजमुंदरी	85	76	11
8		गुंटूर	66	61	8
9		एलुरु	72	68	6
10		श्रीकाकुलम	69	68	1
11		विजयनगरम	72	73	-1
12	असम	शिवसागर	73	41	44
१३		सिलचर	49	32	35
14		गुवाहाटी	103	119	-16
15		नगांव	82	107	-30
16		नलबाड़ी	87	127	-46
17	बिहार	मुजफ्फरपुर	147	168	-14
18		गया	79	104	-32
19	चंडीगढ़	चंडीगढ़	114	116	-2
20	छत्तीसगढ	कोरबा	57	59	-4
21	दिल्ली	दिल्ली	241	208	14
22	हिमाचल प्रदेश	नालागढ़	146	68	53
23		सुन्दर नगर	78	44	44
24		परवाणू	66	39	41
25		बद्दी	174	111	36
26		काला अम्ब	118	100	15
27		दमताल	55	52	5
28		पौंटा साहिब	84	90	-7
29	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	157	101	36
30		श्रीनगर	132**	96	27
३१	कर्नाटक	देवनागरी	74	66	11
32		हुबली, धारवाड़	79	71	10
33		गुलबर्गा	55	56	-2
34	मध्य प्रदेश	उज्जैन	93	84	10
35		सागर	73	74	-1
36		देवास	83	99	-19
37	महाराष्ट्र	अकोला	111	85	23
38		लातूर	82	66	20
39		अमरावती	102	87	15
40		चंद्रपुर	118	102	14

41		सांगली	87	77	11
42		कोल्हापुर	89	86	3
43		जलना	99	102	-3
44		सोलापुर	81	96	-19
45		जलगांव	70	97	-39
46	मेघालय	बर्नीहाट	175	104	41
47	नगालैंड	कोहिमा	127	68	46
48		दीमापुर	142	97	32
49		कलिंग नगर	109	101	7
50		तालचेर	113	113	0
51		राउरकेला	99	111	-12
52	ओडिशा	भुवनेश्वर	85	114	-34
53		कटक	93	129	-39
54		बालासोर	84	124	-48
55		अंगुल	97	167	-72
56		जालंधर	178	111	38
57		नया नागल	87	59	32
58		खन्ना	142	100	30
59	पंजाब	पठानकोट/ डेरा बाबा	79	56	29
60		गोविंदगढ़	148	126	15
61		पटियाला	106	91	14
62		डेरा बस्सी	88	102	-16
63	राजस्थान	अलवर	152	127	16
64		उदयपुर	127	121	5
65	तमिलनाडु	थुथूकुडी	123	57	54
66	तेलंगाना	संगारेड्डी	85	81	5
67		नलगोंडा	59	59	0
68		बरेली	207	80	61
69		फिरोजाबाद	247	102	59
70		मुरादाबाद	222	115	48
71		खुर्जा	195	104	47
72	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	145	91	37
73		गोरखपुर	150	111	26
74		नोएडा	229	182	21
75		गजरौला	204	167	18
76		झांसी	109	96	12
77		अनपरा	175	166	5
78		देहरादून	250	109	56
79	उत्तराखंड	ऋषिकेश	129	76	41
80		काशीपुर	99	98	1
81	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर	150	106	29
82		हल्दिया	92	87	5

वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों/शहरी समूहों में PM10 की सांद्रता में सुधार

क्र.सं.	राज्य	शहर	वर्ष 2017-18 में PM10 की सांद्रता (µg/m3) (वार्षिक औसत)	वर्ष 2023-24 में PM10 की सांद्रता (µg/m3) (वार्षिक औसत)	वर्ष 2017-18 की तुलना में 2023-24 में PM10 की सांद्रता में प्रतिशत कमी (%)
1	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	91	61	33
2		विशाखापत्तनम	76	120	-58
3	बिहार	पटना	172	178	-3
4	छत्तीसगढ	भिलाई	86	68	21
5		रायपुर	70	76	-9
6	गुजरात	अहमदाबाद	164	98	40
7		राजकोट	150	92	39
8		वडोदरा	133	95	29
9		सूरत	130	103	21
10	हरियाणा	फरीदाबाद	229**	190	17
11	झारखंड	धनबाद	315	138	56
12		रांची	141	107	24
13		जमशेदपुर	135	130	4
14	कर्नाटक	बैंगलोर	92	70	24
15	मध्य प्रदेश	जबलपुर	101	91	10
16		भोपाल	112	113	-1
17		ग्वालियर	126	136	-8
18		इंदौर	82	99	-21
19	महाराष्ट्र	मुंबई	161	94	42
20		थाइन	138	111	20
21		नासिक	82	72	12
22		नागपुर	100	94	6
23		बदलापुर	160	152	5
24		पुणे	102	98	4
25		उल्हासनगर	153	149	3
26		नवी मुंबई	88	98	-11
27		वसई-विरार	99	125	-26
28		औरंगाबाद	75	98	-31
29	पंजाब	अमृतसर	189	119	37
30		लुधियाना	168	161	4
31	राजस्थान	जोधपुर	189	124	34
32		जयपुर	172	148	14
33		कोटा	139	124	11
34	तमिलनाडु	त्रिची	88	47	47
35		मदुरै	72	68	6
36		चेन्नई	66	63	5
37	तेलंगाना	हैदराबाद	110	81	26
38	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	230	73	68
39		लखनऊ	253	137	46
40		कानपुर	227	125	45
41		आगरा	202	116	43
42		गाजियाबाद	285	172	40

43		इलाहाबाद	169	124	27
44		मेरठ	159	149	6
45	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	147	94	36
46		आसनसोल	147	108	27
47		हावड़ा	139	111	20
48		बैरकपुर	86	99	-15

** फ़रीदाबाद और श्रीनगर के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के PM10 स्तर उपलब्ध नहीं हैं। फ़रीदाबाद के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के PM10 स्तर और श्रीनगर के लिए वित्त वर्ष 2018-19 के PM10 स्तर को आधार रेखा माना गया है।

अनुलग्नक-II(क)

130 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार

क्र.सं.	वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में 2023-24 में PM10 में सुधार (%)	शहरों की संख्या	शहर
1	40 और उससे अधिक	23	वाराणसी, बरेली, फिरोजाबाद, देहरादून, धनबाद, तूतीकोरिन, नालागढ़, मोरादाबाद, खुर्जा, त्रिची, कोहिमा, लखनऊ, कानपुर, कडप्पा, शिवसागर, सुंदर नगर, आगरा, ग्रेटर मुंबई, ऋषिकेश, परवाणू, बर्नीहाट, अहमदाबाद, गाजियाबाद
2	20-39	32	राजकोट, जालंधर, रायबरेली, अमृतसर, कोलकाता, जम्मू, सिलचर, विजयवाड़ा, नया नंगल, दीमापुर, बद्दी, जोधपुर, खन्ना, दुर्गापुर, कुरनूल, डेरा बाबा नानक, वडोदरा, इलाहाबाद, आसनसोल, हैदराबाद, गोरखपुर, रांची, बेंगलुरु, अकोला, अनंतपुर, दुर्ग भिलाईनगर, सूरत, नोएडा, हावड़ा, ठाणे, लातूर
4	1-19	42	नेल्लोर, गजरौला, अलवर, चित्तूर, काला आम्ब, मंडी गोबिंदगढ़, अमरावती, पटियाला, जयपुर, ओंगोल, दिल्ली, चंद्रपुर, नासिक, झाँसी, सांगली, कोटा, देवनगेरे, राजमुहंडरी, हुबली-धारवाड़, जबलपुर, उज्जैन, गुंटूर, कलिंग नगर, मेरठ, नागपुर, एलुरु, मदुरै, डमटाल, हल्दिया, अनपरा, बदलापुर, संगारेड्डी, उदयपुर, चेन्नई, लुधियाना, पुणे, जमशेदपुर, कोल्हापुर, उल्हासनगर, श्रीकाकुलम, काशीपुर
6	शून्य	33	तालचेर, नलगोंडा, भोपाल, सागर, विजयनगरम, चंडीगढ़, गुलबर्गा, जालना, पटना, कोरबा, पांवटा साहिब, ग्वालियर, रायपुर, नवी मुंबई, राउरकेला, मुजफ्फरपुर, बैरकपुर, गुवाहाटी, डेरा बस्सी, सोलापुर, देवास, इंदौर, वसई विरार, नागांव, औरंगाबाद, गया, भुवनेश्वर, जलगांव, कटक, नलबाड़ी, बालासोर, विशाखापत्तनम, अंगुल

अनुलग्नक-III

सरकार द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम :

i. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत 80 से अधिक उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

ii. निम्नलिखित के लिए हाल ही में उत्सर्जन मानक अधिसूचित/संशोधित किए गए :

क. ताप विद्युत संयंत्र
ख. डीजल/पेट्रोल/सीएनजी जनरेटर सेट
ग. औद्योगिक बॉयलर
घ. चूना भट्टियां
ङ. ईंट भट्टे और उनका ज़िग-ज़ैग प्रौद्योगिकी में परिवर्तन
च. कैल्सीनेटेड पेटकोक उद्योग
छ. हॉट मिक्स संयंत्र

iii. 1 अप्रैल 2020 से भारत स्टेज-VI (बीएस-VI) उत्सर्जन मानदंड लागू किया गया है।

iv. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वाहन स्क्रैपिंग नीति, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्रों और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के लिए नियम बनाए गए हैं।

v. ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट, ई-कचरा, बैटरी अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट प्रबंधन नियम का कार्यान्वयन और ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा राख का 100% उपयोग ।

vi. अपशिष्ट की श्रेणियों जैसे प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-कचरा, बैटरी अपशिष्ट, बेकार टायर और प्रयुक्त तेल के लिए बाजार आधारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) विनियम शुरू किए गए।

vii. कचरा फैलाने की उच्च क्षमता और कम उपयोगिता वाले 12 अभिज्ञात एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं (एसयूपी) पर 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

viii. एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले (पेलेट्स/ ब्रिकेट्स) के साथ-साथ न्यूनतम 5% फसल अवशेषों के उपयोग का आदेश दिया गया है।

ix. व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों को गंभीर और अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों (सीपीए/एसपीए) के रूप में वर्गीकृत करना।
